and business centre at the Indian territory specially at Moreh area of Majipur State;

(c) whether it is a fact that all trucks carrying goods from India have been laid down at the Myanmar territory and not at the Moreh on the Indian side; and

(d) if so, what steps have been taken up to boost benefits for Indian people?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULI RAMAIAH): (a) the volume of border trade between India and Myanmar through Moreh-Tamu sector, since its operationalisation from April, 1995 up to March, 1997 has been Rs. 61.17 crores. The Govt. of India have taken various steps to facilitate border trade via Moreh in Manipur including banking, customs, immigration and other trading arrangements. The border trade via the second point, viz. Champai in Mizoram corresponding to Rih in Myanmar is likely to be operationalised as soon as the infrastructural facilities and other arrangements are completed.

(b) As trade across the border is mostly done through barter system, the exports from India are required to be matched with corresponding value of imports from Myanmar within a period of six months of exports. It has been reported that there is some imbalance in barter trade at present due to paucity of goods on the Myanmar side for export to India.

(c) and (d) As there is no warehouse facility at present in Moreh on the Indian side, trucks carrying export items from India, are allowed to move to Tamu on the Myanmar side where temporary warehousing facility is reportedly available as per mutual understanding. Similarly, Myanmar goods are also allowed up to Moreh LCS for unloading reloading to Indian trucks, after customs checking. The Govt. of Manipur is endeavouring to provide warehouse facility at Moreh.

बागवानी उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा

1445. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का कितना हिस्सा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बागवानी उत्पादों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार ने बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना या कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में निवेश करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को बागवानी के विकास के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ज) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निश्चित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रामैया): (क) वर्ष 1994 के दौरान (संयुक्त राज्य सांख्यिकी के अनुसार) विश्व व्यापार में सब्जियों एवं फलों के निर्यात में भारत का हिस्सा 1.7% के लगभग रहा है। भारतीय पुष्पोत्पाद उद्योग नवजात उद्योग होने के कारण वर्तमान में विश्व व्यापार में इसका निर्यात हिस्सा कम है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में फलों, सब्जियों और फूलों को शामिल करके बागवानी उत्पादों के विदेशी निर्यात की कुल मात्रा और उससे अर्जित मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

मात्राः मी० टन में, मूल्यः करोड़ रुपए में

	1994-95		1995-96		1996-97	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. फल	88255	123.88	102778	147.55	उपलब्ध नहीं	249.33
2. सब्जियां	459832	248.74	434401	301.19	उपलब्ध नहीं	342.85
3. फूल (बीज सहित)	उपलब्ध नहीं	22.57	उपलब्ध नहीं	46.48	उपलब्ध नहीं	103.09

*निर्यातित मात्रा के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) बागवानी उत्पाद के निर्यातों के संवर्धन के लिए उठाए गए कुछ उपायोग में शामिल हैं अवस्थापनापरक सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता जैसे कि विशेषीकृत ट्रान्सपोर्ट एककों की खरीद, पूर्व प्रशीत/शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना करना; ग्रेडिंग संसाधन केन्द्रों नीलामी मंचों पकाने/देखभाल करने वाले प्रकोष्ठों गुणवत्ता जांच उपस्कर की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋण देना उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता देना; क्लीयरेंस के लिए प्रतिक्षारत खेपों के निर्यात के लिए चलते-फिरते शीत भंडारों की स्थापना करना; हवाई पत्तनों पर खराब होने वाले पदार्थ के लिए समर्पित कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना करना; उन्नत उत्पादों की स्वीकार्यता के लिए वाष्प ऊर्जा उपचार सुविधाओं की स्थापना करना; चुनिन्दा पुष्पो पादों तथा बागानों के तथा बागानों के उत्पादों और ताजी सब्जियों के लिए वायु भाड़ा इमदाद की व्यवस्था करना; तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप करना।

(ङ) और (च) निजी क्षेत्र की अनेक इकाईयां बागवानी उत्पादों जैसे कि कुंकुरमुत्ता ऊर्जा वर्धक सब्जियों और पुष्पोत्पादों के उत्पादन और उसको संसाधित करने के कार्य में लगी हैं।

(छ) और (ज) पुष्पोत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए एपीडा के जरिए पुष्पोत्पाद पर यू एन डी पी द्वारा समर्थित एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अधीन 6, 00,000 अमरीकी डालर की कुल यू एन डी पी सहायता दी जाएगी परियोजना का उद्देश्य उन्नत उत्पादन विशेषज्ञता और बाजार सूचना के जरिए कटे हुए फलों के निर्यात क्षेत्र का विस्तार करना है। कृषि मंत्रालय में बागवानी प्रभाग 276000 अमरीकी डालर की कुल लागत पर जम्मू कश्मीर में अखरोट की खेती के लिए जनवरी 1996 से दिसम्बर 1997 तक दो वर्ष की अवधि के लिए एफ ए ओ से सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम चला रहा है। इस परियोजना में अखरोट की खेती के विस्तार एवं प्रशिक्षण के बारे में प्रौद्योगिकी का आयात करना शामिल है।

Operational problems Responsible for the Slump in Export Growth According to FIEO

1446. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Export Organisation (FIEO) has blamed operational problems and negative attitude of Government officials, responsible for the slump in export growth last year;

(b) whether it is a fact that the credit rates for a number of items under the Duty Entitlement Passbook (DEPB) Scheme have not been notified though two months have already elapsed since the announcement of the new Exim Policy; and

(c) if so, what action has been taken by Government to redress the grievances of the Indian exporters as brought to the notice of Government by FIEO?